Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
06/03/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। उभयपक्ष बहस सुनी गई। मुताबिक बहस प्रार्थी- " रव. सं. 1109 (20 बीघा, 11 बिस्वा), रव. सं. 1130 (14 बीघा 11 बिस्वा), रव. सं. 1141/1 (12 बीघा 5 बिस्वा), रव. सं. 1142/3 (03 बीघा 06 बिस्वा) भूमि प्रार्थी के पिता भींयाराम जी के नाम सह-खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करते हुए m. no. 643 के तहत भींयाराम की भूमि दर्ज की गई। भींयाराम जी की फौतगी पश्चात m. no. 770 के तहत भींयाराम जी के 2 पुत्रों में से केवल 1 पुत्र सुखराम का नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को उसके ½ हि. की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी सं. 01 व 02 को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि का बेचान-हस्तांतरण ना करे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।" मुताबिक बहस अभि. अप्रार्थी सं. 01 व 02 -" विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 01 व 02 की खातेदारी भूमि है एवं वे मौके पर काबिज हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। भींयाराम जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि का बंट कर लिया था, जिसके तहत ग्राम काकेलाव के रव. सं. 321, 330, 1108, 116, 1127, 1130, 1134, 1140, 1141, 1142, 1152 में से	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note o of the

ख.सं. 1109, 1130, 1141, 1142, 1152 में से ख.सं. 1109, 1130, 1141, 1142 (50 बीघा 13 बिस्वा) की भूमि भींयाराम जी ने अपने बेटे में रखी, जो अप्रार्थीगण के पिता सुखराम के हक- हिस्से में दे दी, जिसका M.No. 643 भरा गया। ख.सं. 312, 314, 315, 318, 1147, 1148, 1149, 1155 (163 बीघा) भूमि भींयाराम ने प्रार्थी तथा अन्य भाई-भतीजों के नाम करवा दी, जिसका M. No. 647 भरा गया। प्रार्थी द्वारा लालच में आकर 40 वर्षों बाद वाद दायर किया गया है। अतः counter प्रा.पत्र के तहत निवेदन है कि प्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह अप्रार्थी सं. 01 व 02 के कब्जे-काश्त में ना तो स्वयं दखल करे ना किसी अन्य से करावें। प्रार्थी द्वारा 11/08/84 को भरे गए mutation को आज तक challenge नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।"

उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रा.पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-

1. M. No. 643: भींयाराम S/o भेंपाराम के नाम ख.सं. 1109, 1130, 1141, 1142 की भूमि दर्ज हुई। (संलग्न प्रति अनुसार) (दिनांक: 15/03/83)

2. M. No. 648: थानाराम S/o भींयाराम के नाम ख.सं. 1155, 1149, 1147 दर्ज किया गया। (दिनांक: 15/03/83)

3. M. No. 770: भींयाराम की कौतगी पर

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उसके लड़के सुखराम के नाम ख. सं. 1109, 1130, 1141, 1142 की भूमि दर्ज की गई। (दिनांक 11/08/84) M. no. 643, 648 एक ही दिनांक 15/02/83 को बंटवारा के तहत भरे गए हैं। बंटवारा संबंधी संपूर्ण दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1984 के mutation को आज दिनांक तक challenge नहीं करना, प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है। किंतु M. no. 770 फौतगी के आधार पर दर्ज किया गया है एवं उसमें प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने से प्रथम-दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः विवादित भूमि के ½ हि. का बेचान-हस्तांतरण तार्फैसला मूलवाद ना हो। उक्त स्थगन आदेश बैंक ऋण वसूली पर लागू नहीं होगा। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।	